"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 414]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 नवम्बर 2016— कार्तिक 18, शक 1938

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक /622/एफ-2(6)/2016/48/सं.का. — छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधानसभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है. यह संशोधन दिनांक 29-04-2016 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

(1) नियम 3 में, शब्द एवं अंक "रुपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार)" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रुपये 2,00,000 (दो लाख)" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) नियम 3 के प्रथम परंतुक में, शब्द एवं अंक "रुपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार)" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रुपये 2,00,000 (दो लाख)" प्रतिस्थापित किया जाये.

(3) नियम 7 के प्रमाणपत्र में, शब्द एवं अंक "रुपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार)" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रुपये 2,00,000 (दो लाख)" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2016

क्रमांक /623/एफ-2(6)/2016/48/सं.का. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक /622/एफ-2(6)/2016/48/सं.का. दिनांक 8-11-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 8th November 2016

NOTIFICATION

No./622/f-2(6)/2016/48/p.a.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Legislative Assembly Ex-members (Free Transit by Railway) Rules, 1996, with retrospective effect from 29th April, 2016, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 3, for the words and figure "Rupees 1,50,000 (One Lac Fifty Thousand)" the words and figure "Rupees 2,00,000 (Two Lac)" shall be substituted.

2. In first proviso of rule 3, for the words and figure "Rupees 1,50,000 (One Lac Fifty Thousand)", the words and figure "Rupees 2,00,000 (Two Lac)" shall be substituted.

3. In certificate of rule 7, for the words and figure "Rupees 1,50,000 (One Lac Fifty Thousand)" the words and figure "Rupees 2,00,000 (Two Lac)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMITABH JAIN, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.